उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 626–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि / 2023–18 / 14 (टी0सी0– I)

दिनांकः 15 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2020 दिनांक 16.09.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0–225–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2021 दिनांक 09.03.2021, कार्यालय ज्ञाप सं0–45–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2022 दिनांक 20.01.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–749–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2023–04–काविनी / 2020, दिनांक 20.07.2023 के माध्यम से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के विभिन्न संवर्गों की सेवाओं में प्रथम सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले संवर्गो के कार्मिकों हेतु बॉण्ड–मनी जमा करने का अनुबन्ध–पत्र निष्पादित कराये जाने सम्बन्धी प्राविधान किये गये हैं।

2. उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.08.2023 को सम्पन्न 92वीं बैठक में, निदेशक मण्डल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के उक्त आदेशों को, एतद्द्वारा, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में, यथावत् / सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या–626(i)–पारे0अनु0–04 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 / 2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ के निजी सचिव।
4- समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
7- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
8- संयुक्त सचिव (पारेषण–प्रथम), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
10- उप सचिव (पारेषण–प्रथम / द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
12- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कर्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
13- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ को दिनांक 25.08.2023 को सम्पन्न 92वीं बैठक के मद संख्या–92(39) के सन्दर्भ में।
14- अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.upptcl.org पर शीर्ष प्राथमिकता पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 1051 – का०वि०नी० एवं वे०प्र०–29 /पाकालि /2020–04–काविनी/20 दिनांक 16 सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषय : – **उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त संवर्गो की सेवाओं में, प्रथम सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की नियुक्ति से सम्बन्धित निर्धारित सेवा शर्तो में बाण्ड मनी/ सेवा अनुबन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।**

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2020 को सम्पन्न 159(50)वीं बैठक में उपरोक्त विषय पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा निम्नवत् आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

(i) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम नियुक्ति के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित सेवा–शर्तों में बॉण्ड–मनी जमा करने के रूप में "सेवा अनुबन्ध–पत्र" निष्पादित किये जाने का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित किया जाता है।

(ii) उपरोक्त "सेवा अनुबन्ध–पत्र" (प्रारूप एवं निर्देश संलग्न) समस्त सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों से उनकी प्रथम नियुक्ति के अवसर पर लिखित रूप में निष्पादित किया जायेगा।

(iii) "सेवा अनुबन्ध–पत्र" निष्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में बॉण्ड–मनी की धनराशि निम्नांकित दरों के अनुसार निर्धारित की जाती है :–

क्रम सं0	सीधी भर्ती के पद का ग्रेड-वेतन/ (सातवें वेतन आयोग का पे–मैट्रिक्स लेवल)	निर्धारित बॉण्ड मनी
1	ग्रेड–पे रू0 2600/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–4)	रू0 75,000/–
2	ग्रेड–पे रू0 3000/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–5)	रू0 75,000/–
3	ग्रेड–पे रू0 4200/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–6)	रू0 1,00,000/–
4	ग्रेड–पे रू0 4600/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–7)	रू0 1,50,000/–
5	ग्रेड–पे रू0 4800/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–8)	रू0 1,50,000/–
6	ग्रेड–पे रू0 5400/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–10)	रू0 2,00,000/–
7	ग्रेड–पे रू0 8900/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–13)	रू0 3,00,000/–

(iv) सीधी भर्ती के प्रारम्भिक पद पर चयनोंपरान्त सम्बन्धित कार्मिक को 01 माह अवधि का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा दिया जायेगा एवं तत्पश्चात 11 माह की अवधि तक सम्बन्धित कार्मिक को ऑन जॉब ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) पर माना जायेगा।

(v) इस प्रकार उपरोक्त ग्रेड–वेतन के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कार्मिकों को विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा प्रदत्त 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एवं 11 माह की ऑन जॉब प्रशिक्षण की अवधि (कुल 12 माह) के अतिरिक्त अग्रेतर 02 वर्ष की सेवा सहित अर्थात 03 वर्ष से पूर्व कारपोरेशन की सेवायें छोड़ने की दशा में उन्हें उपरोक्त निष्पादित 'सेवा अनुबन्ध–पत्र" के अनुसार निर्धारित बॉण्ड–मनी एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) कारपोरेशन में जमा करनी होगी।

(क्रमशः... 2)

d:\kavini files\kavini files 329\2020\04-kavini-2020\letter.doc

(vi) <u>शिथिलता</u> – सेवा प्रारम्भ / कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के मध्य यदि अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रकृति की सेवाओं में चयनित होने पर कारपोरेशन की सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है तो उक्त सेवा में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित बॉण्ड मनी जमा करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जायेगी :–

(क) भारत सरकार से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर चयन होने की दशा में।

(ख) राज्य सरकार के उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के फलस्वरूप किसी पद पर चयन होने की दशा में।

(vii) सेवा अनुबन्ध पत्र निष्पादित किये जाने का उपरोक्त प्राविधान सम्बन्धित संवर्गो की नियुक्ति विषयक सेवा शर्तो में समावेशित समझा जायेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।

<u>संलग्नक : यथोपरि।</u>

<u>निदेशक मण्डल की आज्ञा से,</u>

<u>संख्या: 1051–(I)–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/2020 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणॉचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा / केस्को–कानपुर।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
19. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2020 को सम्पन्न 159(50) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
21. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (काविनी)

d:\kavini files\kavini files 329\2020\04-kavini-2020\letter.doc

सेवा अनुबन्ध–पत्र

इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू (Surety) जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं) को रू0 100/– मूल्य के नान–जुडिशियनल स्टैम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने एंव प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम तीन वर्षो तक कारपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण के उपरान्त 03 (तीन) वर्षो की सेवा अवधि में कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से बाण्ड मनी रू0 .... + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगें। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हों, से प्राप्त हैसियत प्रमाण भी आपको निष्पादित बन्ध पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में प्रदेश के बाहर के नवनियुक्त .... का बाण्ड मनी रू0 .... + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनरारिश हेतु प्रतिभू (Guaranteer) उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में, आ रही कठिनाई के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :–

(ख) (1) यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है तो वह एक नोटाराइज्ड एफीडेविट (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) इस आशय से प्रस्तुत कर दे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाये जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है।

(2) यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू (Guarantor) नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीकृत बैंक से बाण्ड मनी रू0 .... एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) (वर्तमान में 18%) को सम्मिलित करते कुल रू0 .... की सावधि जमा पत्र (Fixed deposit) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्षो की सेवावधि अर्थात कुल–04 वर्षो की अवधि के लिए कारपोरेशन में बन्धक रखनी पड़ेगी, के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

बन्ध पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश

प्रतिभूति बन्धः–

1. बन्ध पत्र रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए यदि रू0 100/– के स्टाम्प पेपर 1 पन्ने (शीट) में उपलब्ध न हो तो, ऐसी दशा में 2 या 3 (शीट्स) जो कम मूल्य के हो परन्तु उनके मूल्य का कुल योग रू0 100/– हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
2. .... और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने (शीट्स) सहित, यदि कोई हो, बन्ध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (पेज) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
3. बन्ध पत्र पर किसी प्रकार की काट–छांट, परिवर्तन अथवा पुर्नलेखन इत्यादि होने पर, प्रत्येक ऐसे स्थान पर .... एंव प्रतिभू को संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए।
4. प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम, पता व पद नाम का उल्लेख, उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए।
5. वह दिनांक, जब बन्ध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था, नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात् बन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बन्ध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय .... को ही स्वयं करना होगा।
6. बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा .... एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए।
7. .... तथा प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए।
8. प्रतिभू उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम रू0 .... के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए तथा इसके प्रमाण हेतु बन्ध पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त "ऋण शोधन क्षमता प्रमाण–पत्र" जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का न हो, संलग्न किया जाना चाहिए।
9. यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू (Guarantor) नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बाण्ड मनी रू0 .... एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) वर्तमान में 18%) को सम्मिलित करते कुल रू0 .... की सावधि जमा पत्र (Fixed deposit) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्षो की सेवावधि अर्थात कुल–04 वर्षो की अवधि के लिए कारपोरेशन में बन्धक रखनी पड़ेगी, के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(कार्मिक द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)

बन्ध पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री .... पुत्र/पुत्री श्री .... अस्थायी .... जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के नियुक्ति पत्र सं0–... दिनांक .... में वर्णित शर्तो के अधीन सेवा कर रहे हैं। (एतद्पश्चात् "........................" कहलायेंगे) एवं श्री .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी ....(एतद्पश्चात् "प्रतिभू" कहलायेंगे) एतद्द्वारा आबद्ध होते है कि (जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से,) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को (एतद्पश्चात् "कारपोरेशन" कहलायेंगे) मांगे जाने पर रू0 .... + जी0एस0टी0 (लागू दर से) मात्र देने के बन्ध पत्रित होंगे।

दिनांक .... मास .... वर्ष................

हस्ताक्षरित

कार्मिक के हस्ताक्षर

प्रतिभू के हस्ताक्षर

यतः कारपोरेशन ने .... का नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार स्थायी .... के रूप में नियुक्त किया है।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वास्त करने के आशय से कि .... स्वयं अपनी ओर से कारपोरेशन की सेवाओं को, प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित संवर्ग में .... के रूप में नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष पश्चात् तक नहीं छोड़ेगा, ... यह बन्ध पत्र निष्पादित करता है, अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि .... अपने प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित संवर्ग में .... के रूप में नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष पश्चात् तक कारपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की पूर्व अनुमति लिये बिना छोड़ेगा अथवया त्यागपत्र देगा, तब उस दशा में .... और/अथवा प्रतिभू कारपोरेशन के मांगे जाने पर बन्ध–पत्र में वर्णित धनराशि का अविलम्ब भुगतान करेंगे तथा उसके (..............) अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबन्ध होगा कि यदि कारपोरेशन, ... की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तो के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

साक्षी : हस्ताक्षरित

1. अभियन्ता
2. प्रतिभू

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या : 225 – का०वि०नी० एवं वे०प्र०–29 /पाकालि /2021–04–काविनी/20 दिनांकः 09 मार्च, 2021

स्पष्टीकरण आदेश

विषय :– कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/20–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विभिन्न संवर्गो की सेवाओं में प्रथम सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त होने वाले, कार्मिकों की नियुक्ति से सम्बन्धित निर्धारित सेवा शर्तों में बाण्ड मनी जमा करने का सेवा अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराये जाने तथा अन्य प्राविधानों को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/20–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 में सेवा अनुबन्ध–पत्र, बन्ध पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश, प्रारम्भिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता, परिवीक्षा अवधि का निर्धारण एवं कार्मिक द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर बन्ध पत्र निष्पादित किये जाने विषयक निर्धारित किये गये प्रारूप में प्राविधानित विभिन्न व्यवस्थाओं के व्यवहारिक कियान्वयन में अनुभव की जा रही कतिपय कठिनाइयों एवं उत्पन्न संशय के निवारण हेतु एतद्द्वारा निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है :–

(i) कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2020–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 के बिन्दु (V) की तृतीय पंक्ति में यथा उल्लिखित **"प्रशिक्षण की अवधि (कुल 12 माह) के अतिरिक्त अग्रेतर 02 वर्ष की सेवा सहित"** का आशय **"प्रशिक्षण की अवधि (कुल 12 माह)* को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् अग्रेतर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सहित"** से है।**

* प्रशिक्षण अवधि यथा आवश्यक होने पर बढ़ायी भी जा सकती है।

** संगत विनियमों में निर्धारित प्राविधानों/उपबन्धों के अनुसार आवश्यक होने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ii) उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2020–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 के साथ परिशिष्ट के रूप में प्रसारित किये गये **"सेवा अनुबन्ध पत्र"** के प्रथम प्रस्तर में यथा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि एवं अन्य प्राविधानों के सन्दर्भ में वचनबद्धता का प्राविधान संशोधित संलग्न **परिशिष्ट–"अ"** के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त कार्मिक द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किये जाने वाले बन्ध–पत्र जो सम्प्रति **परिशिष्ट–"च"** के रूप में प्रसारित किया गया है की व्यवस्थाओं को और अधिक सुगम एवं स्पष्ट किये जाने के दृष्टिगत संलग्न संशोधित **परिशिष्ट–"ब"** के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।

2. उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गयी 'व्यवस्थायें एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/20–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 में अनुबन्ध एवं सेवा अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराये जाने के प्राविधान में समूह "क", "ख" एवं "ग" में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले समस्त संवर्गो/पदों के कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे एवं सम्बन्धित कार्मिकों की संगत सेवा विनियमावलियों के प्राविधानों/नियुक्ति विषयक

सेवा शर्तों में समावेशित माने जायेंगे। तदनुसार सम्बन्धित सेवा विनियमावलियों में उपरोक्त संशोधित प्राविधान जोड़े जाने की आवश्यक कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

3. कार्यालय ज्ञाप सं0–1051–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2020–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्याः 225 –(I)–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणॉचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/केस्को–कानपुर।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
19. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ, को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 02.03.2021 को सम्पन्न 164(11)वीं बैठक के सन्दर्भ में।
21. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (काविनी)

सेवा अनुबन्ध-पत्र

इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू (Surety) जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं) को रू0 100/– मूल्य के नान–जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर 01 वर्ष प्रशिक्षण पूर्ण करने एंव प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम 02 वर्षो तक कारपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करना होगा। 01 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 02 (दो) वर्षो की सेवा अवधि में (कुल 03 वर्ष) से पूर्व कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से बाण्ड मनी रू0 .... + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगें। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हों, से प्राप्त हैसियत प्रमाण भी आपको निष्पादित बन्ध पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में प्रदेश के बाहर के नवनियुक्त ....(पदनाम) का बाण्ड मनी रू0 .... + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनरारिश हेतु प्रतिभू (Guarantor) उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में, आ रही कठिनाई के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :–

(1) यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है तो वह एक नोटाराइज्ड एफीडेविट (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) इस आशय से प्रस्तुत कर दे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाये जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है।

(2) यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू (Guarantor) नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीकृत बैंक से बाण्ड मनी रू0 .... एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) (वर्तमान में 18%) को सम्मिलित करते कुल रू0 .... की सावधि जमा पत्र (Fixed deposit) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्षो की सेवावधि अर्थात कुल–04 वर्षो की अवधि के लिए कारपोरेशन में बन्धक रखनी पड़ेगी, के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

संशोधित परिशिष्ट–"ब"

(कार्मिक द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)

बन्ध–पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री .... पुत्र/पुत्री श्री .... अस्थायी .... जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के नियुक्ति पत्र सं0–.. दिनांक .... में वर्णित शर्तो के अधीन सेवा कर रहे हैं। (एतद्पश्चात् " .... " कहलायेंगे) एवं श्री .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी ....(एतद्पश्चात् "प्रतिभू" कहलायेंगे) एतद्द्वारा आबद्ध होते है कि (जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से,) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को (एतद्पश्चात् "कारपोरेशन" कहलायेंगे) मांगे जाने पर रू0 .... + जी0एस0टी0 (लागू दर से) मात्र देने के बन्ध पत्रित होंगे।

दिनांक .... मास .... वर्ष...........

हस्ताक्षरित

कार्मिक के हस्ताक्षर

प्रतिभू के हस्ताक्षर

यतः कारपोरेशन ने .... को नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार अस्थायी .... के रूप में नियुक्त किया है।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वस्त करने के आशय से कि .... स्वयं अपनी ओर से कारपोरेशन की सेवाओं को .... के संवर्ग में नियुक्ति के दिनांक से 01 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने (कुल 03 वर्ष) तक नहीं छोड़ेगा, ... यह बन्ध पत्र निष्पादित करता है। अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि .... अपने 01 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने (कुल 03 वर्ष) से पूर्व कारपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की पूर्व अनुमति लिये बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा, तब उस दशा में .... और/अथवा प्रतिभू कारपोरेशन के मांगे जाने पर बन्ध–पत्र में वर्णित धनराशि का अविलम्ब भुगतान करेंगे तथा उसके (..............) अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबन्ध होगा कि यदि कारपोरेशन, ... की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तो के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

साक्षी :

1.

2.

हस्ताक्षरित

अभ्यर्थी

प्रतिभू

d:\kavini files\kavini files 329\2020\04-kavini-2020\letter.doc

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 45 –का०वि०नी० एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2022–04–काविनी/2020 दिनांक 20 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 30.12.2021 को सम्पन्न 174(17)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त संवर्गों की सेवाओं में, प्रथम सीधी भर्ती के पद एवं ग्रेड–वेतन में नियुक्त होने वाले कार्मिकों की सेवा शर्तों में बाण्ड मनी/सेवा अनुबन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने विषयक प्रभावी कारपोरेशनादेश सं0 1051–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2020–04–काविनी/2020 दिनांक 16.09.2020 में निर्धारित बॉण्ड मनी धनराशि के प्राविधानों के क्रम में सप्तम वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 में प्रथम सीधी भर्ती पद हेतु बाण्ड मनी जमा किये जाने के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निम्नवत् व्यवस्था भी सम्मिलित की जाती है :–

सीधी भर्ती के पद का ग्रेड–वेतन *(सातवें वेतन आयोग का पे–मैट्रिक्स लेवल)*	निर्धारित बॉण्ड मनी
ग्रेड–पे रू0 8700/– (पे–मैट्रिक्स लेवल–12)	रू0 3,00,000/–

2. कारपोरेशनादेश सं0 1051–काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/20–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 के अन्य समस्त प्राविधान *(संशोधनों सहित)* पूर्व की भाँति यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

सं0 45–(I)–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/केस्को, कानपुर।
6- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पा0का0लि0/उ0प्र0 पा0ट्रां0का0लि0।
11- अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पा0का0लि0/उ0प्र0 पा0ट्रां0का0लि0।
14- अनु सचिव (स0प्र0)/(स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 30.12.2021 को सम्पन्न 174(17)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
18- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(दुर्गा प्रसाद दीक्षित)
संयुक्त सचिव (का0वि0नी0)

F:\Kavini All\kavini files\2020\04-Kavini-2020\Letter.doc Page 15

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 749 –का०वि०नी० एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2023–04–काविनी/2020 दिनांक 20 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.06.2023 को सम्पन्न 192(29)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त संवर्गो की सेवाओं में प्रथम सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों हेतु निर्धारित सेवा शर्तों में बॉण्ड मनी/सेवा अनुबन्ध पत्र निष्पादित किये जाने विषयक प्रभावी कारपोरेशनादेश सं0–1051–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29 दिनांक 16.09.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0–225–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29 दिनांक 09.03.2021 में उल्लिखित प्राविधानों एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–45–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29 दिनांक 20.01.2022 के अनुक्रम में वेतन मैट्रिक्स लेवल–14 (वेतनमान रू0 1,44,200–2,18,200) एवं लेवल–15 (वेतनमान रू0 1,71,400–2,23,600) में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम नियुक्ति पर बॉण्ड मनी जमा किये जाने के सम्बन्ध में एतदद्वारा निम्नवत् व्यवस्था सम्मिलित की जाती है :–

सीधी भर्ती के पद का ग्रेड–वेतन/ (सातवें वेतन आयोग का पे–मैट्रिक्स लेवल)	निर्धारित बॉण्ड मनी
(पे–मैट्रिक्स लेवल–14, वेतनमान रू0 1,44,200–2,18,200)	रू0 4,00,000
(पे–मैट्रिक्स लेवल–15, वेतनमान रू0 1,71,400–2,23,600)	रू0 5,00,000

2. उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था वेतन मैट्रिक्स लेवल–14 एवं लेवल–15 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के सामान्य विनियम/नियुक्ति विषयक सेवा शर्तों में समावेशित मानी जायेंगी। तदनुसार सम्बन्धित सेवा विनियमावलियों में उपरोक्त प्राविधान जोड़े जाने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उक्त वेतन मैट्रिक्स में प्रथम नियुक्ति के अवसर पर लिखित रूप में "सेवा अनुबन्ध–पत्र" प्राप्त किये जायेंगे।

3. संघ लोक सेवा आयोग व उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के फलस्वरूप किसी पद पर चयन होने की दशा में बॉण्ड मनी जमा करने के सम्बन्ध में शिथिलता सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप सं0 1051–काविनी एवं वे०प्र0–29/पाकालि/20–04–काविनी/20 दिनांक 16.09.2020 एवं तत्क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–225–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29 दिनांक 09.03.2021 के अन्य समस्त प्राविधान (संशोधनों सहित, यदि कोई हों) पूर्व की भाँति यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं0 749–(I)–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/केस्को कानपुर।

(क्रमशः . . . 2)

Ayush

6- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
11- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
12- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
15- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
16- अनु सचिव (सचि0प्रशा0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
17- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
19- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
20- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 16.06.2023 को सम्पन्न हुई 192(29)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के कार्यवृत्त के अनुपालन में।
21- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)
उप सचिव (का0वि0नी0)